



कार्यालय प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु, सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय  
नव केन्द्रीय राजस्व भवन, स्टेच्यु सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर-302005  
(सूचना का अधिकार शाखा)

फा. सं. V(Tech)RTI/88/2019/ 2988  
सेवा में, 26.9.19

दिनांक: .09.2019

श्री नवनीत गोयल,  
AB-611, निर्माण नगर,  
जयपुर - 302019 |

विषय: - सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत चाही सूचना के क्रम में |

महोदय,

कृपया आपका सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत किया आवेदन पत्र दिनांक 23.08.2019 जो कि केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, सीजीएसटी व् उत्पाद शुल्क, जयपुर को दिनांक 11.09.2019 को प्राप्त हुआ का सन्दर्भ देखें |

इस सम्बन्ध में आपके द्वारा चाही जानकारी के सम्बन्ध में विभागीय कार्यवाही चल रही है, अतः सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(h) प्रावधान जिसके अनुसार "information which would impede the process of investigation or apprehension or prosecution of offenders" के आधार पर सूचना नहीं दी जा सकती है |

"यदि सूचना लेने वाले व्यक्ति को सूचना से असंतुष्टि है तो वह प्रथम अपीलीय प्राधिकरण, श्री मंजूर अली अंसारी, अपर आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु, सेवा कर एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, नव राजस्व भवन, स्टेच्यु सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर - 302005 को इस निर्णय की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं।"

भवदीय,

- Sdr

सहायक आयुक्त/ के.लो.सू. अधिकारी,  
केन्द्रीय वस्तु, सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,  
जयपुर।

प्रतिलिपि:-

1. बेब मास्टर/अपर आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु, सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, जयपुर को जोनल बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु |

25/9/19  
सहायक आयुक्त/ के.लो.सू. अधिकारी,  
केन्द्रीय वस्तु, सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,  
जयपुर।